

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 285] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 1972/अग्राहायना 9, 1894

No. 235] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 1972/AGRAHAYANA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi the 30th November 1972

G.S.R. 470(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 11 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by clauses 6, 7, 8 and 9 of the said Order shall be exercisable also by the Director of Agriculture, Kerala and further directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. G.S.R. 1127/Ess. Com./Sugarcane, dated the 16th July, 1966 namely:—

In the said notification, after the words “and West Bengal.” the words “the Director of Agriculture, Kerala.” shall be inserted.

[No. 4-24/72-SPY.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1972

सा० का० नि० 470 (अ०)/आ० व०/ईख०ईख० (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त आदेश के खंड 6, 7, 8 और 9 द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियां कृषि-निदेशक, केरल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी तथा यह और निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1127/आ० व०/ईख०, तारीख 16 जुलाई, 1966 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना में, "और पश्चिमी बंगाल," शब्दों के पश्चात् "कृषि-निदेशक, केरल," शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 4-24/72-एस पी वाई]

एस० बी० सम्पत संयुक्त सचिव।